कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़

पत्रांक/मान्यता/अनुभाग–8/ 1347 – 1351 /2020–21 दिनांक 27-7-2020

प्रबंधक

सेठ एम0आर0जयपुरिया स्कूल,सुन्दरपुर,परसरामपुर

प्रतापगढ़

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

आप के तारीख 16.06.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती **पत्राचार/निरीक्षण/के प्रतिनिर्देश से मैं सेठ एम0आर0जयपुरिया स्कूल,सुन्दरपुर,परसरामपुर प्रतापगढ़** को शैक्षिक सत्र 2020–21 तक की अवधि के लिये औपबंधिक मान्यता **(कक्षा 01 से कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम)** प्रदान करने की संसूचना शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 11 जनवरी 2019 के अधीन देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्ययीन हैः–

1 – मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सम्बंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 – विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 – विद्यालय कक्षा 1 में,उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 – पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 – सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्ययीन नहीं करेगा।

6 – विद्यालय किसी बालक/बालिका को ,उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा,और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। एवं विद्यालय निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगा।

(1)– प्रवेश दिये गये किसी भी बालक/बालिका को,विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक,किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(2)– किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जायेगा।

(3)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई भी बोर्ड परीक्षा,उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(4)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये विवंधन के अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(5)– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(6)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा(अध्यापक) सेवा नियमावली–1981(अद्यतन संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जू0हा0स्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली(यथासंशोधित) के अनुसार होंगी।

(7)– अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

(8)– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

SETH M.R. JAIPURIA SCHOOL PRINCIPAL

SETH M.R. JAIPURIA S... MANAGER PRATAPGARH

Manisha

7 – विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8 – विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

स्थलीय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदत्त आख्या के अनुसार प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –	630 वर्गमी0
कुल निर्मित क्षेत्र –	282 वर्गमी0
कीडा स्थल का क्षेत्रफल –	348 वर्गमी0
शिक्षण कक्षों की संख्या –	14
प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय –सह भण्डारघर के लिये कक्ष –	03
बालक और बालिकाओं के पृथक–पृथक शौचालय/मूत्रालय –	उपलब्ध है
पेयजल सुविधा –	उपलब्ध है
मिड डे मील के लिये रसोई –	–
बाधा रहित पहुँच –	है

अध्यापन पाठन सामाग्री/कीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता – उपलब्ध है

9 – विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगी।

10 – विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

11 – विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 – विद्यालय को किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा हो।

13 – विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण तैयार किया जाना चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14 – आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **E-373** है। भविष्य में इस कार्यालय के साथ पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 – विद्यालय ऐसी रिपार्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है,जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

16 – सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

17 – संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

पृ0सं0/मान्यता/अनुभाग–8/ 1347 – 1351 /2020–21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक(स्कूल शिक्षा),उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

2– शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,लखनऊ।

3– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),प्रयागराज मण्डल,प्रयागराज।

4– खण्ड शिक्षा अधिकारी,मुख्यालय/मंगरौरा जनपद प्रतापगढ़।

5– कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

SETH M R JAIPURIA SCHOOL MANAGER PRATAPGARH